

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ, जिला भीलवाड़ा**

**पीठासीन अधिकारी नेहा छीपा (आर.ए.एस)**

प्रकरण संख्या 103/2024

उनवान

1. कमली बाई पुत्री श्री रामा माली नि० पीपली ।
2. कांता पत्नी स्व० श्री रामेश्वर माली नि० पीपली ।
3. चम्पा पुत्री श्री रामेश्वर माली नि० पीपली ।
4. नानी देवी पत्नी स्व० श्री रामा माली नि० पीपली ।
5. पुष्पा पुत्री श्री रामेश्वर माली नि० पीपली ।
6. शांति देवी पुत्री रामा माली नि० पीपली ।
7. हीरा लाल पुत्र श्री रामा माली नि० पीपली तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा ।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. मेगा पुत्र तुलछा माली नि० पीपली ।
2. हजारी पुत्र कुका माली नि० पीपली ।
3. देबी लाल पुत्र तुलछा माली नि० पीपली ।
4. अमरी पुत्र श्री नन्दा माली नि० पीपली ।
5. कमली पुत्री श्री नन्दा माली नि० पीपली ।
6. छोटी पत्नी श्री नन्दा माली नि० पीपली ।
7. भैरू पुत्र श्री नन्दा माली नि० पीपली ।
8. किशन पुत्र श्री नन्दा माली नि० पीपली ।
9. नारायण पुत्र श्री नन्दा माली नि० पीपली ।
10. हीरा लाल पुत्र श्री काना माली नि० पीपली ।
11. दिलीप पुत्र श्री काना माली नि० पीपली ।
12. रामेश्वर पुत्र श्री काना माली नि० पीपली ।
13. राधेश्याम पुत्र श्री काना माली नि० पीपली ।
14. लीला पुत्री श्री काना माली नि० पीपली ।
15. विष्णु पुत्री श्री काना माली नि० पीपली ।
16. सुगना पुत्र श्री काना माली नि० पीपली ।
17. छोटी पत्नी श्री काना माली नि० पीपली ।
18. मेघा पुत्र श्री बख्तावर माली नि० पीपली ।
19. जैना पत्नी श्री बख्तावर माली नि० पीपली समस्त निवासीयान नि० पीपली तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा ।
20. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा ।

—अप्रार्थीगण

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956**

**निर्णय दिनांक 03.09.2024**

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 26.06.2024 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम पीपली प०ह० पीपली भू०अ०नि० मंगरोप तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा के खाता संख्या 380 के आ.न. 334/1 रकबा 0.1265 है, आ०न० 335 रकबा 0.0253 है०, आ.न. 336/1 रकबा 0.0379 है०, भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 01.07.2024 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी संख्या 01 लगायत 19 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नहीं है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

**उपखण्ड अधिकारी**  
हमीरगढ, जिला-भीलवाड़ा

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वयं के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नहीं है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

**--:आदेश:--**

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम पीपली प0ह0 पीपली भू0अ0नि0 मंगरोप तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा के खाता संख्या 380 के आ.न. 334/1 रकबा 0.1265 है, आ0न0 335 रकबा 0.0253 है, आ.न. 336/1 रकबा 0.0379 है, भूमि स्थित है। जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लेण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 300/- पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/- रु० की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 03.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर रहे।

(नेत्र पीपु)  
उपखण्ड अधिकारी  
हमीरगढ भीलवाडा